तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
22/11/17	वकुलाउ उपस्थित। बहस सुनी गयी. वकील पक्ष प्रार्थी ने प्रा०पत्र अन्तर्गत O 9 R 13 R/w 151 CPC का वास्ते रा०वा० सं. 542/2016 धारा 53 RT Act निर्णय व डिक्री दिनांक 10/7/17 का मन्सूखगी डिक्री व निर्णय करने हेतु पेश किया कि दिनांक 20/10/16 को प्रार्थी ने वाद पत्र पेश किया। दिनांक 24/10/16 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन पर तामील है कि हम मौके पर तामील करते हैं कि रामलाल पुत्र रतनलाल गांव गया हुआ है घर पर उसकी औरत मिली नोटिस तामील करने से इंकार कर दिया इस नोटिस की प्रति चस्पा की गयी. दिनांक 24/11/17 को प्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी दिनांक 24/11/17 को ही बहस का प्रा० डिक्री किया गया। राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत मेला राज में दिनांक 10/7/17 को तहसीलदार ने प्रार्थी की पालना दिनांक 29/6/17 को पेश की सहमति प्रति सं.। की ओर से वकील अप्रार्थी ने जमानत पत्र पेश किया सहमति तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत खिलाफ प्रस्ताव का तरमीम नक्शा अनुसार वाद की वाद अन्तिम डिक्री किया गया। इस प्रकार वाद दिनांक 10/7/17 को फैसल कर दिया गया। उक्त वाद दिनांक 24/10/17 को दर्ज किया गया। दिनांक 30/6/17 तक कोई तामील ही नहीं हुई है इसके बावजूद गलत तथ्य से दिनांक 10/7/17 के आदेश पत्रिका में यह अंकन कि प्रति० के वकील को सुना गया। जबकि दिनांक 22/6/17 को राजस्व लोक अदालत मेला कोर्ट राज में उक्त प्रकरण की सुनवाई आगामी दिनांक 31/8/17 दी थी। इस कारण दिनांक	

नम्बर अहकाम हुक्म में	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	10/7/17 को केवल कोर्ट राज में उपस्थित नहीं है, लम्बा। दिनांक 10/7/17 को पारित निर्णय व डिक्री पारित की जबकि अप्रार्थी की न तो व्यक्तिगत शामिल हुई न ही अप्रार्थी न ही कोई वकील उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को बिना सुनवाई व शामिल के पारित निर्णय व डिक्री काबिल मन्सूख है। मन: एक तरफा मन्सूखी निर्णय व डिक्री का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि रा.प्र. 542/16 उनवान श्यामलाल बनाम रामलाल का निर्णय व डिक्री दिनांक 10/7/17 को मंसूख करवाने व अप्रार्थी को प्रार्थी के 53, 92 अ प्रा.पत्र का जवाब पेश कर आगे की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति प्रदान करे व अप्रार्थी का प्रा.पत्र मंजूर करवाने व अप्रार्थी अन्य कोई सहायता इस प्रा.पत्र के अनुसार पाने का अधिकारी हो वह दिलाई जावे। वकील प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पेश किया है कि उक्त वाद दर्ज रजि. किया जाकर प्रति के जरिये सम्मन तलब करने का आदेश दिया गया, मगर अप्रार्थी को न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील होने के उपरान्त भी तारीख पेशी पर जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, तत्पश्चात दिनांक 22/6/17 को राष्ट्रीय लोक अदालत केवल कोर्ट राज में सुनवाई हुई जिसमें अप्रार्थी रामलाल स्वयं उपस्थित होकर पत्रावली पर अपने हस्ताक्षर किये, तत्पश्चात दिनांक 10/7/17 को तहसीलदार पोकरण के पत्र क्रमांक 2058 दिनांक 29/6/17 को नकल की रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं अप्रार्थी रामलाल की ओर से अधिवक्ता ने दिनांक 28/6/17 को वकालतनामा पेश किया, जिस पर न्यायालय दोनों पक्षकारों को सुनकर दिनांक 10/7/17 को राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अहकाम की ता[illegible]
	निर्णय एवं डिक्री खिलाफ, उक्त निर्णय एवं डिक्री के आधार पर प्रार्थी श्यामलाल खसरा नं. 860/13 रकबा 5-13 बीघा भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा अप्रार्थी रामलाल उक्त खसरे की भूमि ख.नं. 860/5 रकबा 5-14 बीघा भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है। उक्त फर्द में उक्त तकमील के अलावा पुख्ता किमत गलत है, फर्द क्र. 2 में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत है प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों बराबर 1/2, 1/2 हिस्से में खातेदार काश्तकार है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 10/7/17 को दोनों पक्षकारों की सुनवाई ही अन्तिम निर्णय किया है दिनांक 5/7/17 को राज्य सरकार/जिला कलेक्टर पाली के आदेशानुसार आयोजित राजस्व लोक अदालत मेगा [illegible] राज्य अटल सेवा केन्द्र पर पनावली की सुनवाई हुई [illegible] लेकिन परायाद शामिल न होने के तथ्य गलत है दिनांक 29/6/17 को आयोजित कैम्प में नोटिस पर फर्जी नाम व डिस्रिल दस्खत राय न्यायाल अंकित है नोटिस प्राप्त कर अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ व आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये, इस तरह प्रार्थी को इस प्रकरण की जानकारी हो गई थी, केवल प्रकरण को लम्बा करने की नियत से मनगढ़त तथ्यों के आधार पर झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय ने प्रार्थी व अप्रार्थी की सुनवाई ही निविदत रूप से निर्णय व डिक्री पारित की गई है। उक्त निर्णय व डिक्री एक पक्षीय होने के कथन पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है तथाकथित निर्णय व डिक्री में अप्रार्थी का वकील उपस्थित अंकित है इसलिये न्यायालय के आदेश के विपरीत कथन अमान्य है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अप्रार्थी रामलाल की	

नम्बर व तारीख अहकाम की तामील	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील करने का विधिवत अधिकार है मगर निर्णय व डिक्री को माननीय न्यायालय से अपास्त करवाने का कतई अधिकार नहीं है। प्रार्थी का उक्त प्रा-पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज करमावे। पत्रावली पर दस्तावेजात, जवाब प्रा.पत्र तथा मूल खाना वाद नं 54/16 पर निर्णय व डिक्री दिनांक 10/7/17 का गलती से अवलोकन कर बहस वकीलान पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी उक्त विवादित आराजी के 1/2-1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। न्यायहित में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र O9 R13 CPC को स्वीकार किया जाता है। निर्णय व डिक्री दिनांक 10/7/17 को मन्सूख / अपास्त किया जाता है। वकील प्रार्थी / प्रतिवादी मूल वाद के जवाब दावा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील फाइल दाखिल दफ्तर होवे। आज्ञा जारी हो। [illegible]	